प्रा0पत्र / 04 / 2025 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राज.सरकार प्रवर्तन निरीक्षक, रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री मुकेश सिंघल पुत्र भीखाराम, निवासी मैन मार्केट रूपवास, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-

1—पैरोकार सरकार रसद

निर्णय दिनांक 09.04.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ रूपवास स्थित सिंघल स्वीट हाउस, सब्जी मण्डी रूपवास पर पहुंचे मौके पर प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग रेग्यूलेटर नली व चूल्हे के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर के मौके पर होने के कोई वैध दस्तावेज पेश नही किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 18.2 किग्रा गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। पैरोकार रसद की इकतरफा में बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर का बिना वैध दस्तावेजात के भण्डारण करना एवं इनका उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये करने के लिये पाया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 18.2 किग्रा गैस राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 04 / 2025
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम मुकेश सिंघल

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान में मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं वाणिज्यक गतिविधी के लिये उपयोग करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय 18.2 किग्रा गैस राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय 18.2 किग्रा गैस राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय 18.2 किग्रा गैस सम्बन्धित कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर